



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट - कोतवाली फर्रुखाबाद

दिनांक :-26.01.2025

**कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 25/26 धारा-
115(2)/351(3)/352/109/3(5) बीएनएस से सम्बन्धित 03 नामजद
अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार ।**

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चंदर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 25/26 धारा- 115(2)/351(3)/352/109/3(5) बीएनएस से सम्बन्धित नामजद अभियुक्तगण 1. शिवम वर्मा 2. शिवम मिश्रा 3. अनुभव गुप्ता को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. शिवम वर्मा पुत्र नरेश चन्द्र वर्मा निवासी चीनीग्राम कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़
2. शिवम मिश्रा पुत्र जगन्नाथ मिश्रा निवासी मोहल्ला रकाबगंज थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़
3. अनुभव गुप्ता पुत्र स्व0 रमाचन्द्र गुप्ता निवासी पक्का पुल कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़

घटना का विवरण:- दिनांक 23/01/26 को वादी द्वारा लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण द्वारा वादी व वादी के साले अमित शर्मा, विककी शर्मा, छोटू पाण्डेय के साथ गाली-गलौज कर मारपीट करना , जान से मारने की नीयत से हमला करना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में दिया था, प्राप्त तहरीर के आधार पर कोतवाली फर्रुखाबाद पर मु0अ0सं0 25/2026 धारा 115(2)/351(3)/352/109 बीएनएस बनाम 1. अनुभव उपरोक्त 2. शिवम मिश्रा उपरोक्त 3. शिवम गुप्ता उपरोक्त पंजीकृत किया गया था । दिनांक 26.01.2026 को कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित नामजद अभियुक्तगण 1. शिवम वर्मा 2. शिवम मिश्रा 3. अनुभव गुप्ता को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया व अभियुक्तगण कि निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण:- नामजद तीनों अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि साहब दिनांक 23.01.26 को समय करीब रात्रि 09 बजे हम लोग रेलवे स्टेशन फर्रुखाबाद के सामने वैशाली रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, उसी दौरान वहां 04 अज्ञात व्यक्ति खाना खाने आये थे । जिनसे खाना खाने के दौरान हमारी गाली-गलौज व झगडा हो गया था, जिसके बाद हम लोग वहां से चले गये थे और उसके बाद हम लोग चौक चौराहे पर पान वाले की दुकान के पास खडे थे तभी वो चारो अज्ञात व्यक्ति वहाँ पर आ गये जिनसे हमारा दोबारा झगडा हो गया तो शिवम मिश्रा उपरोक्त व शिवम वर्मा उपरोक्त ने एक व्यक्ति के हाथ पकड लिये थे और अनुभव गुप्ता ने पास वाली पान व मैगी की दुकान से चाकू उठाकर पकडे गये व्यक्ति को जान से मारने की नीयत से चाकू मारा था उसी दौरान पकडे हुए व्यक्ति के हट जाने पर चाकू उन्हीं में से पीछे खडे व्यक्ति के सिर पर लग गया था ,उसके बाद हम लोग चाकू लेकर वहां से भाग गये थे । साहब हमसे गलती हो गई व शेष सफाई अपने अधिवक्ता के माध्यम से मा0 न्यायालय में देना बताया।

बरामदगी का विवरण – घटना में प्रयुक्त एक चाकू ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अनुभव गुप्ता उपरोक्त:-

- 1.मु0अ0सं0 921/2021 धारा 147/323/504 भादवि0 कोतवाली फर्रुखाबाद
- 2.मु0अ0सं0 215/2022 धारा 3/4 जुआ अधि0 कोतवाली फर्रुखाबाद
- 3.मु0अ0सं0 152/2023 धारा 323/504/506 भादवि0 कोतवाली फर्रुखाबाद
- 4.मु0अ0सं0 145/2024 धारा 115/140/191/333 बीएनएस कोतवाली फर्रुखाबाद
- 5.मु0अ0सं0 18/25 धारा 87 बीएनएस कोतवाली फर्रुखाबाद
- 6.मु0अ0सं0 110/25 धारा 115(2)/308(4)/351(2)/352 बीएनएस कोतवाली फर्रुखाबाद
- 7.मु0अ0सं0 25/26 धारा 115(2)/ 351(3)/352/109/3(5) बीएनएस कोतवाली फर्रुखाबाद

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शिवम वर्मा उपरोक्त:-

1. मु०अ०स० 25/26 धारा 115(2)/ 351(3)/352/109/3(5) बीएनएस कोतवाली फर्रूखाबाद

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शिवम मिश्रा उपरोक्त:-

1. मु०अ०स० 25/26 धारा 115(2)/351(3)/352/109/3(5) बीएनएस कोतवाली फर्रूखाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री दर्शन सिंह सौलकी
2. उ० नि० इमरान फरीद
3. उ० नि० अमित कुमार गुप्ता
4. का० अभिषेक प्रताप सिंह
5. का० अजय सिंह
6. का० अंकित पंवार
7. का० वीरेन्द्र सिंह

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।



मिशन शक्ति 5.0



थाना शमसाबाद



मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



#MissionShakti

थाना मेरापूर



मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



थाना मऊदरवाजा





मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



महिला थाना



#Fatehgarhpolice





मिशन शक्ति 5.0



थाना कम्पिल



Fatehgarhpolic



मिशन शक्ति 5.0



थाना कादरीगेट





मिशन शक्ति 5.0



थाना कमालगंज

